महामारी के निरंतर सुधरते हालात

अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार ने न केवल अपनी संख्या दुरुस्त की, बल्कि आगे भी सबूत मिलने पर इस संख्या को संशोधित करने की तैयारी दिखा रही है। अन्य राज्यों को भी बिहार सरकार के इस रुख से प्रेरणा लेकर अपने आंकड़ों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

अनूप सिंह।।

बिहार सरकार ने कोरोना महामारी से राज्य में हुई मौतों की आधिकारिक संख्या में संशोधन किया, जिससे अगले दिन 24 घंटे में देश में हुई कुल मौतों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई। हालांकि, तत्काल यह भी साफ हो गया कि मामला बिहार सरकार के आंकड़ों की गफलत से जुड़ा है और इससे देश में कोरोना महामारी के निरंतर सुधरते हालात पर कोई सवाल नहीं उठता। दरअसल, मौतें छुपाए जाने के आरोपों के बीच पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अप्रैल और मई में कोरोना से हुई मौतों की संख्या का ऑडिट कराने का आदेश दिया था। उसी आदेश का पालन करते हुए सरकार ने संशोधित आंकड़े जारी किए, जिससे राज्य में कोरोना से हुई मौतों की संख्या में एक ही दिन में 3951 का इजाफा हो गया। इस संख्या में उन मौतों को भी शामिल किया गया है, जो निजी अस्पतालों या होम क्वारंटीन में हुईं। एक बार ठीक हो जाने के बाद पोस्ट कोरोना कॉम्प्लिकेशंस से हुई मौतें भी इनमें शामिल हैं और अस्पताल के रास्ते में हुई मौतें भी। यह काम पहले ही होना चाहिए था। महामारी से जुड़ी हर मौत दर्ज होनी चाहिए।

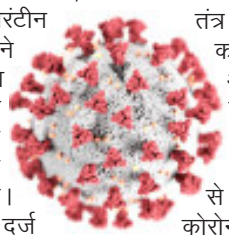

अच्छी बात यह है कि बिहार सरकार ने न केवल अपनी संख्या दुरुस्त की, बल्कि आगे भी सबूत मिलने पर इस संख्या को संशोधित करने की तैयारी दिखा रही है। अन्य राज्यों को भी बिहार सरकार के इस रुख से प्रेरणा लेकर अपने आंकड़ों में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। यह कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भारत जैसे विशाल देश में सरकारी तंत्र की पहुंच की एक सीमा है। कोरोना संक्रमण का हर मामला और उससे हुई हर मौत तत्काल सरकारी रेकॉर्ड पर आ जाए, यह संभव नहीं है। इसीलिए यह बात पहले दिन से कही जा रही है कि भारत में कोरोना से हुई मौत के सरकारी आंकड़े वास्तविक संख्या से कम है। अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं ने तो अपनी-अपनी गणना के अनुसार मौत की अनुमानित संख्या सरकारी आंकड़े से पचास गुना तक ज्यादा बताई। सरकार को अपने संसाधनों के मुताबिक इन अनुमानों की जांच-पड़ताल करते हुए अपने आंकड़े दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए थी। मगर कई राज्य सरकारें सही आंकड़े को छुपाने की कोशिश करती नजर आईं। यह गंभीर बात है। अगर इस पर आपत्ति हुई, तो वह ठीक था। सिर्फ इसलिए नहीं कि एक सभ्य समाज के रूप में हमें हर मौत को सम्मान देना और देते हुए दिखना चाहिए, इसलिए भी कि किसी भी महामारी से निपटने के लिए उसकी व्यापकता, गहनता और आक्रामकता की सटीक समझ बहुत जरूरी है। मौत के सही आंकड़ों से हमें भविष्य में आने वाली महामारियों से निपटने की तैयारी में भी मदद मिलेगी। उम्मीद की जानी चाहिए कि बिहार से दूसरे राज्य भी सीखेंगे और अपने आंकड़े सही करेंगे। याद रखना होगा कि यह हमारे आज के साथ बेहतर कल के लिए भी जरूरी है।

व्रत और त्योहार

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

व्रत करने से काया निरोगी और जीवन में शांति मिलती है। सूर्य की 12 और 12 चंद्र की संक्रांति होती है। सूर्य संक्रांतियों में उत्सव का अधिक महत्व है तो चंद्र संक्रांति में व्रतों का अधिक महत्व है। चौत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, अषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ और फाल्गुन। इसमें से श्रावण मास को व्रतों में सबसे श्रेष्ठ मास माना गया है। इसके अलावा प्रत्येक माह की एकादशी, चतुर्दशी, चतुर्थी, पूर्णिमा, अमावस्या और अधिमास में व्रतों का अलग-अलग महत्व है। सौरमास और चंद्रमास के बीच बढ़े हुए दिनों को मलमास या अधिमास कहते हैं। साधुजन चतुर्मास अर्थात चार महीने श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह में व्रत रखते हैं। सामूहिक त्योहार मनाना जरूरी रू उत्सव, पर्व और त्योहार सभी का अलग-अलग अर्थ और महत्व है।

संपादकीय

छल हैं या भद्दा मजाक

2015-16 से अभियान राज्य में 'हिमांचल की तर्ज पर भू-कानून लागू करो' कों लेकर लगातार जनजागरण व चर्चा सेमिनार सहित साईकिल यात्रा व मैराथन कराते आ रहा था पर 2018 से अभियान ने इन्वेंस्टर समिट मीट का विरोध करते हुए कहाँ था की यह राज्यात्मा की आवाज के साथ छल हैं भद्दा मजाक हैं। तब से अभियान ने राज्य की 24 लाख परिवारों कों यह समझाने की कोशिश की जब तक यहाँ हिमांचल की तर्ज पर भू-कानून नहीं लग जाता हैं तब तक हमारी संस्कृति सहित कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा जिस प्रकार से जन्मदिन के अवसर पर बच्चों के लिए हैप्पी बर्थडे का गुब्बारा टांगा जाता हैं ठीक उसी प्रकार से 'भू-अध्यादेश अधिनियम अभियान ने राज्यात्मा की एकमात्र आवाज हिमांचल की तर्ज पर हों भू-कानून' का गुब्बारा राज्य के 24 लाख परिवारों के दरवाजे में टांगने में सफलता प्राप्त की। 'आज हिमांचल की तर्ज पर हों उत्तराखंड का भू-कानून' राज्य के आमजनमानस के होठो पर विद्यमान हैं.. इस क्रम में अभियान सभी मुख्यमंत्रीयों कों ज्ञापन सौंपते आया हैं और पूरे उत्तराखंड की लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा कर प्रसिद्ध धामों सहित अपने लोक देवी-देवताओं के श्रीचरणों में भू-कानून हेतू अर्जी/ज्ञापन अर्पित/प्रेषित कर आया हैं। 'अभियान हिमालायी प्रतिज्ञारत हैं जब तक हिमांचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भू-कानून लागू नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा।

राज्य की 135 करोड़ जनता की जनभावनाओं को नेस्तानाबूद कर सदा सदा के लिए अध्यादेश को अधिनियम(कानून) बनाकर विधानसभा में पास करा लिया।

क्यों जरुरी भू-कानून उत्तराखंड में

शंकर सागर रावत।।

राज्य आंदोलन से लेकर ये बात उत्तराखंड के आम जनमानस के मन मस्तिष्क व आत्मा में काफी गहराई से बैठा दी गयी थी की उत्तराखंड राज्य का निर्माण हिमांचल की तर्ज पर किया जायेगा लेकिन 9 नवंबर 2000 को राज्य गठन के बाद ये 'राज्यात्मा की एक मात्र मांग' को धीरे-धीरे तत्कालीन अतरिम सरकार से लेकर चुनी हुई सरकारों ने लगातार अनदेखा कर दिया। 2002 को पहली चुनी हुई सरकार के मुखिया नारायण दत्त तिवारी ने कोशिश की 'हिमांचल जैसा सख्त भू-कानून' लाने की लेकिन केंद्रीय शक्तियों के दबाब में उनको एक समिति गठित करनी पड़ी जिसके अध्यक्ष के तौर पर तत्कालीन राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष विजय बहुगुणा को बनाया गया। विजय बहुगुणा ने राज्य की जनभावनाओ के विपरीत जाकर केंद्रीय शक्तियों की चाटुकारिता करते हुए यहाँ की कृषि योग्य जमीनों में तुषारापात करते हुए 500 वर्ग मीटर मकान घर कोठी दुकान बनाने के लिए नच्रसं 1950 की 154 (2) के तहत संसोधन कर सहमती सहित संस्तुति प्रदान की जो 2004 में अध्यादेश के रूप में उत्तराखंड की जनभावनाओं पर पहली कील ठोकी गयी।

राज्य की सभ्रान्त जनता के दिलों में यहाँ से एक टिस बननी शुरू हों गयी जिसके फलस्वरूप

तिवारी जैसे महाअनुभवी राजनीतिज्ञ को भी जनता ने 2007 के आम चुनाव में सबक सीखा दिया। इस जनभावना को बीजेपी भलीभांती जानती थी तभी उनको जनता ने 2007 में गद्दी पर बैठाया पर खंडूरी सरकार भी 'हिमांचल जैसा भू-कानून' लगाने में अपने केंद्रीय आकाओं के दबाब में सफल नहीं हों सकी हा 500 की जगह 250 वर्ग मीटर कर जनता को कुछ मजबूरियों सहित संदेश देने की कोशिश जरूर की गयी यह भी एक अध्यादेश ही था कानून बनाने की जहमत खंडूरी सरकार भी नहीं उठा सकी। उत्तराखंड की जनता अब समझ चुकी थी की जब तक केंद्रीयकृत सरकारें यहाँ राज करेगी तब तक यहाँ हिमांचल जैसा भू-कानून लगाना इनके बस की बात नहीं हैं पर क्या करें उत्तराखंड क्रांति दल (नाक) का भी चेहरा और दागदार था उसने भी क्रमशः कांग्रेस बीजेपी में सत्तासुःख भोगा और कभी भी यहाँ 'हिमांचल जैसा भू-कानून' की पैरवी नहीं की। 2004 और 2007 के अध्यादेशों के माध्यम से इस राज्य को लगातार बेवकूफ बनाया गया इन अध्यादेशों में इतने लकुनाज थे की राज्य की 7.70 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि में से 1.20 लाख हेक्टेयर भूमि का लैंडयूज कब चेंज हों गया किसी को कुछ पता ही नहीं चला और मुख्यमंत्री आवास से लेकर सचिवालय विधानसभा सहित यहाँ के शिक्षक डॉक्टर इंजिनियर सभी अपना मुख्य काम छोड़ भू-माफियाओं के साथ साठगाठ कर जमीनों को बेचने में लग गये। राज्य की परस्थिति ऐसी हों गयी की हर घर का नौजवान फौज आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजिनियर की तैयारी छोड़ जमीनों के धंधे में लग गया जिसे देखो वो चाय व नाई की दुकान सहित चौक चौराहों में सैकड़ो हजारो बीघा जमीन खरीद बेच की बात करते हुए आम सुनाई देने लगा। राज्य की 135 करोड़ जनता की जनभावनाओं को नेस्तानाबूद कर सदा सदा के लिए अध्यादेश को अधिनियम(कानून) बनाकर विधानसभा में पास करा लिया। यहाँ से राज्य की जनता भलीभांती समझ गयी की अब हमारा 'जल जंगल जमीन रोटी-बेटी संस्कृति परास्थितिकी सहित सभी हक-हकूकों की तिलांजलि हों गयी हैं।

अष्टयोग-5017

	3		4	1		2
4	28		25		36	
	5			6	7	4
	28	5	35	3	39	
3	2		6		5	
	32	3	42	5	32	
1	5			4		3

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5016 का हल

6	3	5	7	4	1	2
1	28	3	40	5	31	7
2	1	7	6	3	5	4
7	34	6	31	2	30	3
3	6	2	4	1	7	5
5	30	4	28	6	35	1
4	5	1	3	7	2	6

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

अपने समाज को टटोलने की जरूरत

मोहन। सवाल उठाया जा सकता है कि इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत इतने कम लोग प्रशिक्षित क्यों हुए या इतने कम लोगों को रोजगार क्यों मिल सका। इसका जवाब के लिए हमें खुद अपने को और अपने समाज को टटोलने की जरूरत है। सच यह है कि हम चौथी श्रेणी की सरकारी सेवा में भी दाखिल होना अपना सौभाग्य मानते हैं, जबकि कौशल पर आधारित मेहनत के काम से जी चुराते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा भी जितनी सरकारी सेवा को प्राप्त है, उतनी कौशल आधारित रोजगार को नहीं। इस मनरूस्थिति को बदले बिना कौशल प्रशिक्षण और कौशल आधारित रोजगार को युवाओं की महत्वाकांक्षा से जोड़ पाना कठिन है। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी है। यदि युवाओं को मेहनत के इस काम में समुचित पारिश्रमिक मिले तो शायद उनका आकर्षण इस ओर बढ़ेगा। अपने देश में रोजगार को शिक्षा के प्रमाण-पत्र से जोड़ कर देखा जाता रहा है।